# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

**पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस**

राजस्व आवेदन संख्या **294 / 2022**

प्रार्थीगण :–

1. प्रभूराम उर्फ परबतसिंह पुत्र देरामजी
2. कानाराम उर्फ कानसिंह पुत्र देरामजी
3. अर्जुनसिंह पुत्र स्व. सकसिंह उर्फ सकाजी
4. नरपतसिंह पुत्र स्व. सकसिंह उर्फ सकाजी,

जातियान रावणा राजपूत निवासीयान असाडा तह.पचपदरा

बनाम

विप्रार्थी :–

1. रावतीया पुत्र खुमाजी जाति मेघवाल निवासी असाडा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

**<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते</u>**

**<u>तरमीम दुरस्ती बाबत्</u>**

**उपस्थित :–**

1. श्री प्रेमसिंह सिसोदिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण ,
2. श्री जेठूलाल, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01

**<u>'आदेश</u>**

**दिनांक :– 02.12.2022**

**1.** संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा असाडा, पटवार हल्का असाडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या पुराना 330 रकबा [illegible] है [illegible] मे राजस्व अभिलेख मे राजस्व अधिकारियो ने मूल [illegible] के राजस्व नक्शे में तरमीम कर बटटा नंबर [illegible] कर दिये है ।राजस्व गांव असाडा के खेत खसरा संख्या 330 रकब[illegible] बीघा भूमि जो सम्पूर्ण भूमि वर्ष 1993 तक विप्राथ्री सं. 1 रावतीया पुत्र खुमाराम मेगवाल के नाम से दर्ज थी, तत्कालीन समय में विप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

2.12.2022

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारी भूमि मे 4047 वर्ग मीटर (यानि 02.05 बीघा) आबादी मे संपरिवर्तन करवा दी गयी थी । उक्त राजस्व ग्राम असाडा के खेत खसरा संख्या 330 रकबा 21 बीघा मे से 2.5 बीघा भूमि आबादी मे संपरिवर्तन करवायी गयी, उक्त भूमि मे से 1 बीघा भूमि प्रार्थीगण सं. 1 व 2 व प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के पिता के पक्ष मे जरिये रजिस्टर्ड बेचाननाम तकमील कर बेचान कर दी, जिसमे 01 बीघा भूमि पर रजिस्टर्ड बेचाननामा मे बतौर पडोसी दर्ज है, उसी अनुसार प्रार्थीगण 01 बीघा भूमि पर काबिज है तथा रहवासीय मकानात बना रखे है । उक्त भूमि खसरा संख्या 330 का बटटा नंबर अंकित कर दिया जहां प्रार्थीगण की भूमि आबादी मे कनर्वभूमि भूमि हुई थी, उस भूमि को सुंयक्त भूमि बताते हुए खसरा संख्या 1633/330 मे नाम दर्ज कर दिये गये है तथा प्रार्थीगण के कब्जा भूमि को तरमीम नक्शे में खसरा संख्या 2448/330 अंकित कर दिये गये । जबकि प्रार्थीगण उक्त खसरा संख्या 330 के वर्तमान खसरा संख्या 2448/330 पर काबिज व रहवास बनाये हुए है जो विप्रार्थी संख्या 1 के नाम वर्तमान मे दर्ज है । जबकी प्रार्थीगण को राजस्व अधिकारीयो ने गलत तरमीमी कर खसरा संख्या 1633/330 में संयुक्त रूप से प्रार्थीगण का नाम अंकित कर दिया जो गलत दर्ज किया गया है , जबकि प्रार्थीगण को खसरा संख्या 2448/330 में अलग बटटा लगाकर अंकित करना था जो नहीं किया गया है । अतः प्रार्थीगण ने कब्जासुदा व रहवासीय भूमि को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा मे खसरा संख्या 2448/330 मे ही अलग बटटा लगाकर तरमीम कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे मे खसरा संख्या 2448/330 मे अंकित/दुरूस्त करवाने को निवेदन किया गया है ।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 02 राजकीय पेरोकार अनुपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 इकबाली जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी [illegible] को जहां मेरा कब्जा है,वहां नक्शा में अंकित कर दुरूस्त [illegible] है तो किसी प्रकार का उज्र एतराज व आपत्ति नहीं [illegible] । तहसीलदार पचपदरा से विवादित भूमि की मौका जाच रिपोर्ट भिजवानें हेतु तहरीर जारी कि गयी,जिसकी पालना में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई,जिसमे उल्लेख किया कि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण से 01–00 बीघा सम्परिवर्तित भूमि दिनांक 20.03.1993 को कय की गई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:54 IST
Reason: SelfAttested

थी। प्रार्थीगण द्वारा जानकारी के अभाव मे बेचान का नामान्तरकरण नही करवाया जा सका,जिससे प्रार्थीगण के निवास वाले स्थान पर तरमीम नहीं हो पायी। तत्कालीन हल्का पटवारी, द्वारा अलग–अलग समय में सम्परिवर्तन करवायी गई भूमि को एकीकरण कर एक खसरा कर दिया गया,जो कि प्रार्थीगण के कब्जे से अलग था। प्रार्थीगण का नामान्तरकरण भी सम्परिवर्तित भूमि में ही भरा गया। वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1633/330 में है,जबकि निवास/कब्जा खसरा संख्या 2448/330 में है,जो कि तत्कालीन विक्रेता/प्रतिवादी की ही खातेदारी कृषि भूमि है। प्रस्तावित नंबरो अनुसार तरमीम दुरस्ती करने की अनुंशसा की गई।

3. हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस को सुना और बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, विप्राथी द्वारा इकबाली जबाव,लोक भावना मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उप तहसीलदार जसोल को आदेशित किया जाता है,कि ग्राम मौजा असाडा, पटवार हल्का असाडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल, तहसील पचपदरा के खेत खसरा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा में खसरा संख्या 2448/330 में ही अलग बटटा लगाकर प्रस्तावित तरमीम मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में वर्णित स्थिति अनुसार तरमीम कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे मे खसरा संख्या 2448/330 में नया अंकन/दुरूस्ती की कार्यवाही विधिनुसार करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:54 IST
Reason: SelfAttested

5. आदेश आज दिनांक 02.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा